ई–मेल

राजस्थान–सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान

W-6, Gorav path, Residency Road, Jodhpur

क्रमांकःएफ–5( )/प्राशिनि/ई–2/2020–21/10335 दिनांकः 12.10.2020

प्रधानाचार्य,
समस्त राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,
....।

प्रधानाचार्य,
समस्त राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,
....।

विषयः–आनन्दम (AANANDAM) कार्यकर्म के अर्न्तगत निम्न कार्यो को सम्मिलित किया जा सकता है।

1. प्रत्येक विद्यार्थी एक रजिस्टर बनायेगा जिससे उसके द्वारा प्रत्येक दिवस को समाज के लिए किए गए एक (कम से कम) अच्छे कार्य का विवरण लिखेगा।
2. समाज के दिव्यागंजनो की मदद करना, समाज के वंचित वर्गो के लिए शिक्षा, सफाई, शौचालय, कोरोना जागरुकता, अधिकारों के प्रति जागरुक करना व इसी प्रकार के अन्य कार्य जिनसे उनका जीविकोपार्जन मे सुधार हो सके।
3. कोविड महामारी से बचाव की जानकारी देना व जागरुकता रैलीयॉ निकालना, वंचित वर्गो को मास्क वितरण करना व अन्य निशुल्क उपयोगी कार्य।
4. वंचित वर्गो की बस्तियो मे साक्षरता प्रोग्राम आयोजित करना उनको दैनिक दिनचर्या मे उपयोगी कार्य के बारे मे जागरुक करना जिनके साधारण बैंकिग कार्य , गैस बुकिंग, बस, रेल आरक्षण रेल्वे व बस स्टेशनो पर ध्यान रखने वाली समान्य जानकारी देना जैसे बडे स्टेशनो पर गाडी न., प्लेट फार्म न., कोच न., देखकर किस प्रकार गाडी (रेल) मे बैठना चाहिये।
5. यातायात के नियमो कि जानकारी देना जिसमे रोड ट्रैफिक मे साधारण तथा प्रयोग लिए जाने वाले ट्रैफिक सिंग्नल के बारे मे जागरुक करना ताकी अनावश्यक दुर्घटनाओ से बचाव किया जा सकें।

6. केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा वोटर कार्ड, मनरेगा job cord, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म/मृत्यु रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना आदि के बारे मे जागरुक करना।
7. किसानो का सरकार द्वारा MSP मे खरीदे वाले जिंसो के बारे मे जानकारी देना व किसान मृदा कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड आदि के बारे मे जानकारी देना। खाद, दवाइयो के बारे मे जानकारी दी जा सकती है। कृषको को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए जागरुक करना एंव सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओ की जानकारी देना।
8. ग्रामीण श्रेत्र के युवको को मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात कैरियर का चुनाव करने के तरीके के बारे मे मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता हैं।
9. लडकियो व महिलाओ को उनके अधिकारो के प्रति जागरुक किया जा सकता है तथा प्रतिदिन के दैनिक दिनचर्या मे आने वाली समस्याओ का निवारण किस प्रकार किया जावे इसके बारे मे प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।
10. लडकियो व महिलाओ को self defence (आत्म रक्षा) के बारे मे बताना व खुद उपयोगी के बारे मे जानकारी देना तथा किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर पुलिस सहायता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है।
11. समाज में unused material का प्रयोग कर किस प्रकार नया creative कार्य किया जा सकता है इसके बारे मे जानकारी दी जा सकती है।
12. घरेलु विधुत उपकरणो का उपयोग करते समय सामान्य सावधानियॉ कि जानकारी देना घर के उपयोग मे ली जाने वाली मशीने जैसे वांशिग मशीन, electric pump ,मिक्सी, electronic meter reading देखना ,फ्यूज बॉधना आदि के बारे मे प्रशिक्षित दिया जा सकता है।
13. साधारण पढे लिखे युवको /छोटे व्यापारी एंव सब्जी, रेहडी व फेरी वालो को ATM transaction के दौरान बरतने वाली साधारण सावधानियो की जानकारी देना ताकि बैकिंग धोखाधडी से बचा जा सके।
14. इसी प्रकार कम्पयूटर व net banking साइबर सुरक्षा आदि की सामान्य जानकारी दी जा सकती है।
15. गरीब परिवार को उनकी आवश्यकतानुसार training देकर उनको आर्थिक सशक्तिकरण किया जा सकने वाले प्रोग्राम किए जा सकते है। इसके लिए स्वय सहायता ग्रुप तैयार किए

जा सकते है। ग्रीन कैम्पस अभियान के तहत संस्थानो को पूर्ण रुप से पर्यावरण अनुकूल बनाना। इस सम्बन्ध मे जागरुकता रैलियॉ भी आयोजित कि जा सकती है।

16. सडक दुर्घटनाओ के बारे मे व्यक्तियो को जागरुक करना तथा यदि दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो पुलिस सहायता केन्द्र को सूचित करना तथा त्वरित कार्यवाही करके चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना इससे सम्बन्धित नियमो की जानकारी देना कि सहायता पहुचाने पर आपको पुलिस मे गवाही व बयान के लिए परेशान नही किया जायेगा क्योकि नियमो की जानकारी के अभाव मे डर के कारण लोग सहायता नही करते है।

17. ऐसी पुस्तके, कपडे तथा इस प्रकार की सामग्री जो समाज के अन्य वंचित वर्गो के लिए काम आ सकती है। उनको उपलब्ध करवाने के प्रति जागरुकता अभियान आयोजित किए जा सकते है। जिससे समाज के वंचित व्यक्तियो को फायदा होगा।

18. आपकी संस्था मे करवाये जाने वाले इसी प्रकार के समाजोपयोगी प्रोग्राम आप वहॉ की आवश्यकता के अनुसार बना सकते है।

भवदीय

निदेशक तकनीकी शिक्षा